संख्या-277/2015-4462/नौ-5-15-3एन0जी0आर0बी0ए0/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद स्थित गऊघाट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन से नैनी एस0टी0पी0 तक राइजिंग मेन बदले जाने हेतु परियोजना की द्वितीय एवं प्रथम पुनरीक्षित लागत के अन्तर की धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बनध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र स0-जी-145/022-0302/2015, दिनांक 22.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद स्थिति गऊघाट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन से नैनी एस0टी0पी0 तक राइजिंग मेन बदले जाने हेतु परियोजना के प्रथम पुनरीक्षण में निर्धारित लागत रू0 3450.93 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0- 229/2015-3171/नौ-5-2015-3एन0जी0आर0बी0ए0/2015, दिनांक 09.07.2015 द्वारा द्वितीय पुनरीक्षण में व्यय वित्त समिति की दिनांक 26.03.2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदित लागत रू0 4203.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है, के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय पुनरीक्षण के गैप/अन्तर की धनराशि रू0 4203.54 - रू0 3450.93 लाख = रू0 752.61 में से रू0 376.30 लाख (रू0 तीन करोड़ छिहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.07.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित कार्यो की लागत को प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, इसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम का होगा ।

(3) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर प्राप्त करके ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

(4) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैस ेराइजिंग मेन की लम्बाई बढाना अन्य प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्रापत किये बिना नही किया जायेगा।

go finance mangal font

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान मे किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-107-मल-जल सेवायें -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101- नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए (के.70/रा.30)-35-पूजींगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 277/2015-4462(1)/नौ-5-15-3एन0जी0आर0बी0ए0/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (इला0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
9- महाप्रबनधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
11- निदेशक, वित्त/ तकनीकी सलाहकार राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
12- परियोजना प्रबन्धक, नागर कार्य इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
13- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-11/08/2015

प्रेषण संख्या:- 277

आवंटन आदेश संख्या:- 001-277-2015-4462-9-5-15-3NGRBA-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

107 - मल - जल सेवाएं

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

01 - नेशनल गंगा रिवर बेसिक अथारिटी के अन्तर्गत

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	37630000	37630000
		प्रगामी	1094470000	1094470000
	योग	वर्तमान	37630000	37630000
		प्रगामी	1094470000	1094470000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ छिहत्तर लाख तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब नौ करोड़ चौवालीस लाख सत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी